राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/एल0आर0/866/2004/चित्तोडगढ

1– हरिकिशन पुत्र मोतीलाल मेनारिया
2– तेजपाल पुत्र रतनलाल चौधरी
3– पूरणमल पुत्र खुमानचन्द लोढा
4– मेवालाल पुत्र काशीराम भील
5– अमृतदास पुत्र केशूदास बैरागी
6– भागीरथ पुत्र शंकर रैगर
7– मोहनलाल पुत्र हीरालाल जाट
8– पूरणमल पुत्र रतनलाल जैन
9– अनिल कुमार पुत्र मोहनलाल जैन
समस्त निवासी ग्राम आसावरा, तहसील भदेसर, जिला चित्तोडगढ

.....अपीलार्थी

बनाम

1– ग्राम पंचायत आसावरा जरिये सरपंच
2– राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, भदेसर
3– मोहनलाल पुत्र मांगीलाल सुथार
4– गणपतलाल पुत्र नाथूलाल टांक
5– सोहनलाल पुत्र रामलाल लखारा
6– शांतिलाल पुत्र बालू खटीक
7– महावीर पुत्र मांगीलाल गेलडा
8– अशोक कुमार पुत्र श्यामदास वैष्णव
समस्त निवासी ग्राम आसावरा, तहसील भदेसर, जिला चित्तोडगढ
9– पंचायत समिति भदेसर जरिये विकास अधिकारी

.....रेस्पोडेन्ट

एकल–पीठ
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थित–
श्री पूर्णाशंकर दशोरा, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री जे0के0 पुरोहित, अभिभाषक रैस्पो0

निर्णय

दिनांक : 22.11.2019

हस्तगत द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम, 1956) की धारा 76 के राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तोडगढ द्वारा अपील संख्या 248/2002 शीर्षक "समस्त ग्रामवासियान ग्राम असावरा बनाम ग्राम पंचायत, असावरा" में पारित निर्णय दिनांक 16–01–2004 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अति0 कलक्टर (प्रशासन) चित्तोडगढ प्रभारी अधिकारी पंचायत समिति, भदेसर ने ग्राम आसावरा की आराजी खसरा नम्बर 675 मी. रकबा 10 बिस्वा किस्म बिलानाम नाली में से रकबा 2 बिस्वा ग्राम पंचायत आसावरा की आबादी विस्तार हेतु आरक्षित (सैट अपार्ट) करने का प्रस्ताव जिला कलक्टर को प्रस्तुत किया और जिला कलक्टर, चित्तोडगढ ने आदेश दिनांक 11–04–2002 से, राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6(746)राज–3/1

दिनांक 11.2.2002 में प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में ग्राम आसावरा की आराजी खसरा नम्बर 675 मी. रकबा 10 बिस्वा किस्म बिलानाम नाली में से रकबा 2 बिस्वा प्रस्तावित भूमि की किस्म बिला नाम नाली खारिज करते हुये राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत आसावरा की आबादी विस्तार हेतु आरक्षित (सैट अपार्ट) करने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश के विरुद्ध ग्रामवासियान की ओर से अपील अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत करने पर राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तोडगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16–01–2004 से अपील को अस्वीकार किया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16–01–2004 से अविधिक रुप से जिला कलक्टर, चित्तोडगढ के आदेश दिनांक 11–04–2002 की पुष्टि की गई है। योग्य अधिवक्ता का बहस में मुख्य रुप से यही उज्र रहा है कि प्रश्नगत भूमि गै0मु0 नदी–नाले की भूमि है और इस प्रकार की भूमि का आवंटन/नियमन/सैट अपार्ट नहीं किया जा सकता है जैसा कि अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत प्रावधित हैं। प्रश्नगत भूमि में से हो कर गॉव का बरसात का पानी जाता है और इस प्रकार की भूमि पर आबादी विस्तार से पानी की निकासी में रुकावट पैदा हो जायेगी। पूर्व में ग्राम आसावरा की आराजी खसरा नम्बर 649 एवं 653 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा नाले की भूमि बदस्तूर रखे जाने के आदेश दिए गए थे और जिला कलक्टर ने आदेश दिनांक 7–11–1998 के द्वारा नाले की भूमि को अन्य प्रयोजनार्थ कार्य हेतु नहीं देने का आदेश दिया है। प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 675 पर जिला कलक्टर के सैट अपार्ट के आदेश से पूर्व ही ग्राम पंचायत ने पट्टे जारी कर दिये अतः आदेश प्रभावहीन हो जाता है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में ये भी कथन किया कि जिला कलक्टर को नाले की भूमि को सैट अपार्ट करने का किसी प्रकार से क्षेत्राधिकार नहीं रहा है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जा कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–1–2004 एवं जिला कलक्टर, चित्तोडगढ के आदेश दिनांक 11–04–2002 को निरस्त किया जाये और प्रश्नगत भूमि को राजकीय नाले की भूमि राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जाए।

5– रैस्पो0 पक्ष की ओर से योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रश्नगत भूमि को ग्राम पंचायत के लिए आबादी हेतु सैट–अपार्ट करने से पूर्व जिला कलक्टर द्वारा विधिवत रुप से राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त की गई है और राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13–3–2002 से सन्दर्भ में परिपत्र दिनांक 11–2–2002 के अनुसरण में आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। अतः जिला कलक्टर का आदेश क्षेत्राधिकार के आधार पर उचित आदेश है। योग्य अधिवक्ता का बहस में ये भी कथन रहा है कि खसरा नम्बर 675 में से ही 11 बिस्वा भूमि बस स्टैण्ड हेतु आवंटित की गई है और यह भूमि बस स्टैण्ड से सटी हुई है। अतः प्रश्नगत भूमि नाले के उपयोग की भूमि नहीं है। पानी की निकासी हेतु ग्राम पंचायत द्वारा पृथक से समुचित व्यवस्था की गई है। अतःजिला कलक्टर द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है और अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी विधिक परिप्रेक्ष्य में इस आदेश को आक्षेपित अपीलाधीन निर्णय से पुष्ट किया है। अपील में किसी प्रकार का सार नहीं होने से खारिज किया जाए।

6– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों का अवलोकन अध्ययन किया गया।

7– प्रकरण में परीक्षण पर यह निर्विवाद व स्वीकृत तथ्य है कि जिला कलेक्टर, चित्तोडगढ ने आदेश दिनांक 11–04–2002 से, राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6(746)राज–3/1 दिनांक 11.2.2002 में प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में ग्राम आसावरा की आराजी खसरा नम्बर 675 मी. रकबा 10 बिस्वा किस्म बिलानाम नाली में से रकबा 2 बिस्वा प्रस्तावित भूमि की किस्म बिला नाम नाली खारिज करते हुये राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत आसावरा की आबादी विस्तार हेतु आरक्षित (सैट अपार्ट) करने का आदेश पारित किया है। प्रार्थीगण ने इस सैटअपार्ट के आदेश के मुख्य रुप से इसी आक्षेप के साथ चुनौती दी है कि प्रथमतः जिला कलक्टर को नाले की भूमि को सैट अपार्ट करने का क्षेत्राधिकार नहीं है और द्वितीयतः प्रश्नगत भूमि में से हो कर गॉव का बरसात का पानी जाता है और इस प्रकार की भूमि पर आबादी विस्तार से पानी की निकासी में रुकावट पैदा हो जायेगी। इस सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि तहसीलदार (भू अभिलेख), भदेसर ने भू राजस्व अधिनियम की धारा 182 के तहत ग्राम पंचायतों मे आबादी विस्तार हेतु आवेदन ग्राम आसावरा की आराजी खसरा नम्बर 675 मी. रकबा 10 बिस्वा किस्म बिलानाम नाली में से रकबा 0.27 है0 हेतु प्रस्तुत किया है, जिस पर पटवारी व गिरदावर के हस्ताक्षर भी हैं। जिला कलक्टर के पत्रांक 483 दिनांक 18–2–2002 से शासन उप सचिव, राजस्व विभाग को लिखा गया है कि आराजी खसरा नम्बर 675 मी. रकबा 10 बिस्वा किस्म बिलानाम नाली में से रकबा 2 एअर भूमि किस्म नाली से खारिज करा आबादी हेतु आरक्षित करने की स्वीकृति प्रदान की जावे, जिसे जिला कलक्टर को इस आशय के साथ लौटाया गया है कि परिपत्र दिनांक 11–2–2002 के अनुसार कार्यवाही की जावे। उक्त परिपत्र में प्रावधित किया गया है

> धारा 92 निम्न प्रकार है :–
>
> राज्य सरकार के सामान्य आदेश के अधीन जिलाधीश किसी विशेष प्रयोजन के लिए, जैसे पशुओं के निशुल्क चारागाह के लिए, वन संरक्षण हेतु, आबादी विस्तार हेतु या किसी अन्य सार्वजनिक प्रयोजन के अतिरिक्त बिना जिलाधीश की पूर्व अनुमति के अन्य प्रयोग में नहीं ली जाएगी।
>
> जिला कलेक्टर को विशेष प्रयोजन के लिए भूमि को आरक्षित करने का अधिकार इस धारा के प्रावधान के अन्तर्गत सभी प्रकार की भूमि सम्मलित है, जिन्हें विशेष प्रयोजन के लिए आरक्षित किया जा सकता है। आरक्षित का तात्पर्य आवंटन से नहीं लिया जाना चाहिए। राज्य सरकार के पास जिला कलक्टर के यहॉ से विभिन्न प्रयोजन के लिए भूमि आरक्षण के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, जब कि भूमि आरक्षित किये जाने सम्बन्धी अधिकार स्वयं जिला कलक्टर को हैं। अतः निर्देशानुसार निर्देश है कि आरक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव जिला कलेक्टर अपने स्तर पर ही निपटावें। जहॉ तक विशेष प्रयोजन के लिए भूमि आवंटन का प्रश्न है, विभिन्न नियमों में प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार स्तर से जारी होने वाले आदेश के प्रस्ताव जिला कलेक्टर द्वारा राज्य सरकार को भिजवाए जाने चाहिए।

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार सुस्पष्ट है कि जिला कलक्टर, चित्तोडगढ द्वारा विधिवत प्म से राज्य सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों व परिपत्र दिनांक 11–2–2002 के सन्दर्भ में कार्यवाही करते हुये आदेश दिनांक 11–4–2002 पारित किया गया है। अतः योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में ली गई आपत्ति खारिज योग्य है। प्रकरण में परीक्षण पर यह पाया जाता है कि प्रश्नगत भूमि नाले की भूमि के

रुप में अंकित है किन्तु इसी प्रश्नगत खसरा नम्बर 675 में से पूर्व में बस स्टैण्ड हेतु रकबा 11 बिस्वा आवंटित किया गया है और पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत सैट अपार्ट की गई भूमि रकबा 2 बिस्वा इसी भूमि से लगा हुआ है। जो आवेदन सैट अपार्ट हेतु प्रस्तुत किया गया है उसमें अंकित किया गया है कि "पानी की निकासी की व्यवस्था कर पंचायत आबादी निर्माण चाहती है।" इसी आशय की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः स्पष्ट है कि पूर्व में इसी आराजी में से बस स्टैण्ड निर्माण हेतु 11 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया है और इसी से चिपकी हुई वर्तमान प्रश्नगत भूमि रकबा 2 बिस्वा है। ग्राम पंचायत द्वारा पानी की निकासी की व्यवस्था हेतु भी कहा गया है तथा अधीनस्थ न्यायलाय ने भी अपने निर्णय में अंकित किया है कि भूमि नाले के रुप में काम में नहीं आ कर बस स्टैण्ड से सटी हुई है। अतः प्रकरण के तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में हमारा मत है कि जिला कलक्टर द्वारा आदेश दिनांक 11–4–2002 से प्रश्नगत भूमि को आबादी हेतु सैट अपार्ट करने में किसी प्रकार की क्षेत्राधिकार या तथ्यों सम्बन्धी भूल नहीं की है और उक्त आदेश की प्रथम अपील में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी पुष्टि की है। अतः वर्तमान अपील में किसी प्रकार का सार नहीं होने से **खारिज** की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य